



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4851/MH/7/2025-RU-I

दिनांक: 09.09.2025

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
105, मुख्य भवन, मंत्रालय,
मुंबई-400032, महाराष्ट्र
ई-मेल: psec.revenue@maharashtra.gov.in

सचिव,
आदिवासी विकास विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
मंत्रालय, मैडम कामा रोड,
मुंबई, महाराष्ट्र 400032
ई-मेल: sec.tribal@maharashtra.gov.in

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट,
जिला-अहिल्यानगर,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
अहिल्यानगर - 414001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.ahmednagar@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-अहिल्यानगर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
अहिल्यानगर-414001, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.ahmednagar@mahapolice.gov.in

विषय: आदिवासियों को खेती के लिए दी गई भूमि पर गैर-आदिवासी समुदाय द्वारा जबरन कब्जा करने उन्हें प्रताड़ित करने और भूमि का 7-12 नकल दिलवाने के संबंध में श्री योगेश मच्छीन्द्र निकम व अन्य आदिवासी, निवासी-वडगाँव गुप्ता, तालुका-अहमदनगर (अहिल्यानगर), महाराष्ट्र का दिनांक 01.04.2025 का अभ्यावेदन।

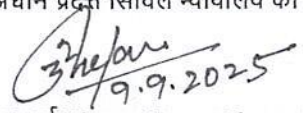
संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2025 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्यवाही के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 18.09.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री योगेश मच्छीन्द्र निकम,
निवासी-वडगाँव गुप्ता,
तालुका-अहमदनगर (अहिल्यानगर), महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।